संख्या-99/2015/1693/नौ-5-15-29एम/14

प्रेषक,

उमा शंकर सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 जल निगम,
लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-5 लखनऊ : दिनांक 30 मार्च, 2015

विषय:-वित्तीय वर्ष 2014-15 में नगरीय जल निकासी योजना के अन्तर्गत नगर पंचायत, उसका बाजार के मास्टर प्लान के अनुसार जल निकासी के कार्यो से सम्बन्धित प्रायोजना पर वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति तथा उसके सापेक्ष प्रथम किश्त की धनराशि अवमुक्त किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महाप्रबन्धक(नि-9) सीएण्डडीएस, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ के पत्र संख्या-170/म0प्र0नि0-8/का-1/20, दिनांक 10.03.2015 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नगरीय जल निकसी योजना के अन्तर्गत नगर पंचायत, उसका बाजार में मास्टर प्लान के अनुसार जल निकासी के कार्यो की कार्य योजना पर **₹ 494.80 लाख (₹ चार करोड़ चौरानबे लाख अस्सी हजार मात्र)** पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए वित्तीय वर्ष 2014-15 में अनुदान संख्या-37 के राज्य सेक्टर के नगरीय जल निकासी योजना से प्रथम किश्त के रूप में **₹ 247.40 लाख (₹ दो करोड़ सैतालिस लाख चालीस हजार मात्र)** अवमुक्त किये जाने पर श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम तथा सचिव/संयुक्त सचिव, नगर विकास विभाग के प्रतिहस्ताक्षरयुक्त बिल प्रस्तुत करके कोषागार/भारतीय स्टेट बैंक से आहरित कर व्यय की जायेगी।

(2) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को राकेने की दृष्टि से प्रायोजना पर कार्य से पूर्व सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(3) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(4) स्वीकृत धनराशि का कोई भी अंश किसी बैंक/पोस्ट आफिस/डिपाजिट खाता/पी.एल.ए. में नहीं रखा जायेगा।

(5) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाएगा।

(6) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। किसी भी दशा में धनराशि का व्यवर्तन अन्य किसी कार्य में नहीं किया जायेगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।

(7) निष्प्रयोज्य होने वाले उपकरणों/सामग्री से प्राप्त धनराशि राजकोष में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) प्रायोजना का निर्माण कार्य समसय में पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(9) कार्यस्थल पर राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा नियत डिस्पले बोर्ड' पर कार्य का पूर्ण विवरण, कार्यदायी सस्था कार्य प्रारम्भ होने, कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि आदि का उल्लेख किया जायेगा। कार्य प्रारम्भ होने, कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि आदि का उल्लेख किया जायेगा।

(10) स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र कार्यालय महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद एवं निदेशक, स्थानीय निकाय/शासन को नियमानुसार संबधित कार्यदायी संस्था द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

2- वित्तीय मामलों में संबंधित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/ लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तो में किसी प्रकार का विचलन हो तो संबंधित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामलें की सूचना पूर्ण विवरण सहित तत्काल प्रशासकीय तथा वित्त विभाग को दी जायेगी।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत आयोजनागत *लेखाशीर्षक "2215-जलापूर्ति तथा सफाई-02-मलजल तथा सफाई-193-नगर पंचायतों/अधिसूचित क्षेत्र या उनके समतुल्य निकायों को सहायता-04-30प्र0 व्यापार विकास निधि से व्यय-0402-नगरीय जल निकासी कार्य-35-पूंजीगत परिसम्पित्तयों के सृजन हेतु अनुदान"* के नामें डाला जायेगा तथा अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत आयोजनागत लेखाशीर्षक *"2215-जलापूर्ति तथा सफाई-02-मलजल तथा सफाई-191-नगर निगमों को सहायता-04-30प्र0 व्यापार विकास निधि से व्यय-0402-नगरीय जल निकासी कार्य-35-पूंजीगत परिसम्पित्तयों के सृजन हेतु अनुदान"* से पुनर्विनियोग कर वहन किया जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनांक 22 जुलाई, 2014 द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक : बीएम-9

भवदीय,

(उमा शंकर सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या-99/2015/1693(1)/नौ-5-15-29एम/2014, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2- संबंधित मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश ।
3- जिलाधिकारी, सिद्धार्थनगर।
4- कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट कोषागार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
5- निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, इन्दिरा भवन, उ0प्र0 लखनऊ।
6- निदेशक, सीएण्डडीएस, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
7- अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, उसका बाजार, उत्तर प्रदेश।
8- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
9- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
10- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
11- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल को वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,

(उमा शंकर सिंह)
संयुक्त सचिव।

बी0एम0–9 (भाग–1)

पुनर्विनियोग की स्वीकृति के लिये आवेदन

(बजट मैनुअल का प्रस्तर–158 देखें)

(इस प्रपत्र को भरने से पूर्व पीछे छपे अनुदेशों को भली–भांति देख लिया जाय)

अनुदान संख्या व नाम–37 नगर विकास विभाग पूँजी लेखा वित्तीय वर्ष: 2014–15 (धनराशि हजार ₹ में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखा शीर्षक(15 डिजिट कोड में) आयोजनागत	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/विनियोग (2–5)
1	2	3	4	5	6
"2215–जलपूर्ति तथा सफाई–02–मलजल तथा सफाई–191–नगर निगमों को सहायता–04–उ0प्र0 व्यापार विकास निधि से व्यय–0402–नगरीय जल निकासी कार्य–35–पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान"	550000	298757	61718	61718	488282
योग	550000	298757	61718	61718	488282

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखा शीर्षक(15 डिजिट कोड में) आयोजनागत	वित्तीय वर्ष के लिये उपलब्ध अनुदान/विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9–8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/ विनियोग(8+11)
7	8	9	10	11	12
"2215–जलपूर्ति तथा सफाई–02–मलजल तथा सफाई–193–नगर पंचायतों/अधिसूचित क्षेत्र या उनके समतुल्य निकायों को सहायता–04–उ0प्र0 व्यापार विकास निधि से व्यय–0402–नगरीय जल निकासी कार्य–35–पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान"	600000	661718	61718	61718	661718
योग	600000	661718	61718	61718	661718

1. **स्तम्भ–3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है:–**
   नगर निगमों में आंशिक जल निकासी की व्यवस्था है, इसलिए बचत हो रही है।
2. **स्तम्भ–8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ–9 में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है:–**
   नगर पंचायतों के लिये केवल रू0 6000.00 लाख की बजट व्यवस्था वर्तमान वित्तीय वर्ष में की गयी है, जो अपर्याप्त है। नगर पंचायतों के क्षेत्रान्तर्गत जल निकासी कार्यो हेतु अधिक धनराशि की आवश्यकता है।
3. प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर–150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

आर0ई0संख्या:– 665 /ई–8– 969/दस–2015,दिनांक 30 मार्च, 2015

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

(उमा शंकर सिंह)
संयुक्त सचिव,
नगर विकास विभाग।

(सुभाष चन्द्र)
अनु सचिव,
वित्त विभाग।

संख्या– 2045 (1)/नौ–5–2015 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महालेखाकार (वर्क्स लेखा अनुभाग), उ0प्र0, इलाहाबाद।
2– सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3– सम्बन्धित कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4– निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, इन्दिरा भवन लखनऊ।
5– प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
6– सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी, पंचायत, उत्तर प्रदेश।
7– वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग–8/वित्त आय–व्ययक अनुभाग–1
8– गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से

(उमा शंकर सिंह)
संयुक्त सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2014-2015

आवंटन दिनांक-30/03/2015

प्रेषण संख्या:- 99-2015

आवंटन आदेश संख्या:- 001-99-2015-1693-9-5-15-29M-14

अनुदान संख्या:- 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2014-2015 का आवंटन)

लेखाशीर्षक:- 2215 - जल पूर्ति तथा सफाई(आयोजनागत-मतदेय)
02 - मल-जल तथा सफाई
193 - नगर पंचायतों / अधिसूचित क्षेत्र समितियों या उनके समतुल्य
04 - उत्तर प्रदेश व्यापार विकास निधि से व्यय
02 - नगरीय जल निकासी कार्य

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	योग
1	लखनऊ कलेक्ट्रेट -6015-- , --01--	वर्तमान प्रगामी	24740000 32270000	24740000 32270000
	योग	वर्तमान प्रगामी	24740000 32270000	24740000 32270000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया दो करोड़ सैंतालीस लाख चालीस हजार

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया तीन करोड़ बाइस लाख सत्तर हजार

(उमा शंकर सिंह)
संयुक्त सचिव